दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :– 10/3/2026

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:–

क. वादी सं. 1 रामकुमार :–

चक	प.नं.	किला	तादादी
12 एमडब्लयूएम	112/366	11/2, 12 ता 14, 15/1, 15/2	1.240 हैक.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ख.	वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को ब.हि.ब. :–			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	12 एमडब्लयूएम	112/366	17 ता 19, 20/2, 21/2	1.215 हैक.
ग.	वादी सं. 4, 5 को ब.हि.ब. :–			
	चक	प.नं.	किला	तादादी
	12 एमडब्लयूएम	112/366	6/1, 6/2, 7 ता 9, 10/2	1.240 हैक.

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ....10/3/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा